

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एक्स-29 पार्ट-8/2023/

दिनांक:-

:-शुद्धिकरण:-

निम्नांकित कार्मिकाओं द्वारा राज्य सेवा में 02 वर्ष परिविक्षाकाल पूर्ण करने पर स्थायीकरण आदेश निदेशालय स्तर से जारी किये जा चुके हैं, में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिका का नाम व पद (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदस्थापन जिला	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	संशोधन
1	ललीता विश्नोई, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सिरोही	74/ 10.02.2023	कार्मिका का नाम ललीता बिनोई के स्थान पर ललीता विश्नोई पढा जावे।

शेष आदेश यथावत।

(सुरेश नवल)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर  
दिनांक:- 9/3/23

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एक्स-29 पार्ट-8/2023/1 & 3  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही।
3. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर